कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

(14/71, सिविल लाइन्स, केसा हाउस, कानपुर–208001)

सार्वजनिक सूचना

विद्युत अधिनियम–2003 की धारा 64 के अन्तर्गत, उ0प्र0 सरकार के उपक्रम कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड, द्वारा वर्ष 2019–20 का ट्रू–अप, वर्ष 2020–21 का ए0पी0आर0 एवं वर्ष 2021–22 का सकल राजस्व आवश्यकता याचिका दिनांक 22.02.2021 को मा0 आयोग में प्रस्तुत की गई थी।

मा0 आयोग ने अपने आदेश दिनांक 08.04.2021 द्वारा उक्त याचिका स्वीकार कर ली हैं। मा0 आयोग के उक्त आदेश के अनुपालन में याचिका के मुख्य बिन्दु उपभोक्ताओं एवं सामान्य जनता की जानकारी के लिए निम्नवत् सूचित किये जाते हैं।

क्र0सं0	विवरण	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष
		2019–20	2020–21	2021–22
		ट्र–अप	ए0पी0आर0	ए0आर0आर0
1	वितरण कम्पनियों को ऊर्जा विक्रय (मि0यू0)	3578.25	3303.55	3727.58
2	ऊर्जा विक्रय (मि0यू0)	3300.50	3021.43	3413.34
3	अनुमोदित वितरण लाईन हानियॉ (%)	11.80%	8.42%	8.25%
	वास्तविक /प्रस्तावित वितरण लाईन हानियॉ (%)	7.76%	8.54%	8.43%
4	इन्ट्रा स्टेट पारेषण हानियां (%)	3.43%	3.40%	3.33%
	व्यय (रू0 करोड़)			
5	ऊर्जा क्रय मूल्य (पी0जी0सी0आई0एल0 सम्मिलित)	1860.15	2217.70	2576.48
6	ट्रांसमिशन चार्जेज (यू0पी0पी0टी0सी0एल0)	107.67	78.62	88.72
7	परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय (नेट ऑफ कैपिटालाईजेशन)	342.66	411.94	437.63
8	ब्याज एवं वित्त प्रभाव (नेट ऑफ कैपिटालाईजेशन)	64.03	44.20	50.78
9	ह्रास	31.07	40.01	45.01
10	बैड एवं डाउटफुल डेब्ट्स	22.48	49.34	55.38
11	सकल खर्चे	2428.06	2841.82	3254.00
12	रिटर्न ऑन इक्यिूटी	46.13	49.73	55.92
13	घटायें: अन्य आय	42.26	25.54	25.54
14	घटायें: ओपेन एक्सेस उपभोक्ताओं से राजस्व	0.00	0.00	0.00
15	सकल राजस्व आवश्यकता	2431.93	2866.01	3284.39
16	टैरिफ से प्राप्त राजस्व	2619.39	2467.11	2768.98
17	राजकीय सहायिकी	0.00	0.00	0.00
18	राजस्व (अन्तर)/अतिरिक्त (वर्तमान टैरिफ पर)	187.47	(398.91)	(515.41)
19	ऊर्जा क्रय दर (बसवार पर) (रू0/यूनिट)	4.25	4.37	4.60
20	औसत विद्युत ऊर्जा क्रय दर (बी0एस0टी0) (रू0/यूनिट)	4.89	4.99	5.41
21	डी0बी0एस0टी0 दर (रू0/यूनिट)	0.00	6.71	6.91
22	औसत विद्युत दर (शासकीय सहायिकी छोड़कर) (रू0/यूनिट)	7.94	8.17	8.11
23	औसत विद्युत लागत (रू0/यूनिट)	7.37	9.49	9.62
24	व्हीलिंग चार्जेज (रू0/यूनिट)			1.32

लाइसेन्सी द्वारा मा0 आयोग से उ0प्र0 शासन के पत्रांक 445/24-1-21/731(बजट)/2020 दिनांक 05.03.2021 के आधार पर वर्ष 2019–20 के ट्रू–अप एवं वर्ष 2021–22 की ए0आर0आर0 को अनुमोदित करते समय पूर्व डिसएलॉओसेस के विरूद्ध उचित समायोजन करने का अनुरोध किया गया है। मा0 आयोग से सरलीकृत उपभोक्ता श्रेणी/उपश्रेणी/स्लैब के प्रस्ताव के अनुसार शासकीय सहायिकी रहित टैरिफ निर्धारण करने तथा उ0प्र0 शासन द्वारा विभिन्न उपभोक्ता श्रेणी/उपश्रेणी/स्लैब हेतु सूचित की जाने वाली शासकीय सहायिकी को पृथक रूप से अंकित करने का अनुरोध किया गया है। शासकीय सहायिकी रहित रेट–शिड्यूल प्रस्ताव हेतु विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के मध्य क्रास सब्सिडी की आवश्यकता है तथा मा0 आयोग द्वारा क्रास सब्सिडी का रोड–मैप अभी तक अनुमोदित नहीं हुआ है। तदनुसार मा0 आयोग द्वारा क्रास सब्सिडी के अनुमोदित रोड–मैप के अनुसार शासकीय सहायिकी रहित टैरिफ निर्धारण किया जा सकता है।

ट्रू–अप, ए0पी0आर0 एवं ए0आर0आर0 याचिका, आयोग द्वारा प्रेषित डिफिसेन्सी नोट एवं कार्यवृत दिनांक 01.04.2021 के प्रत्युत्तर के साथ, निगम की वेबसाईट (www.kesco.co.in) पर उपलब्ध हैं। समस्त स्टेक–होल्डर, सामान्य जनता तथा सभी उपभोक्ता समय–समय पर लाइसेन्सी द्वारा प्रेषित अभिलेखों की अद्यतन जानकारी निगम की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

सभी सम्बन्धित उपभोक्ता, संस्था, अनुज्ञप्तिधारक और सरकार के विभाग अपने प्रतिवेदन नोटराइज्ड शपथपत्र के साथ छह प्रतियों में जिसमें चार प्रति सचिव, उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, विभूती खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को तथा दो प्रतियॉ प्रबन्ध निदेशक कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड 14/71, सिविल लाइन्स, केसा हाउस, कानपुर–208001 को इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों में प्रेषित कर सकते हैं।

प्रबन्ध निदेशक
कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड

राष्ट्रहित में बिजली बचायें